# अध्याय VI: कर मांग के बकायों को बट्टे खाते में डालना

## 6.1 प्रस्तावना

हाल के दिनों में आय कर अधिनियम (अधिनियम) में कई प्रावधानों[57] और कर मांग की वसूली से संबंधित सीबीडीटी द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद कर मांग के बकाया कई गुना बढ गए हैं और वर्ष दर वर्ष इक्ट्ठा हो रहें हैं। 31 मार्च 2014 तक, लम्बित कर मांग का कुल बकाया ₹ 5.75 लाख करोड़ था जिसमें ₹ 2.21 लाख करोड़ (38 *प्रतिशत*) प्रमाणित मांग[58] के रूप में शामिल था। आयकर विभाग ने प्रत्येक सीआईटी-प्रभार[59] के लिए अनन्य रूप से एक टीआरओ को आवंटित करते हुए कर मांग की बकाया का मॉनीटर और वसूली करने के लिए कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) के रूप में एक विशिष्ट तंत्र का गठन किया। जब कर मांग टीआरओ द्वारा वसूली की शक्ति का उपयोग करने के बावजूद भी वसूल नहीं होती है तब असंशोधय कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए विचार किया जाता है। वित्तीय शक्तियां, 1978 के प्रत्यायोजन की अनुसूची VII के साथ पठित नियम 13 आयकर कमिश्नर (सीआईटी) को वसूल नहीं हुई कर मागों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन बट्टे खाते में डालने की शक्ति प्रदान की गई है। सीबीडीटी द्वारा जारी कार्यालय प्रक्रिया की नियमपुस्तिका (एमओपी) खण्ड-II (तकनीकी) में कर मांग के बकायों को बट्टे खाते में डालने से संबंधित कानून के प्रावधान हैं।

लोक लेखा समिति ने 11 अगस्त 2006 को लोकसभा में प्रस्तुत अपनी 29वीं रिपोर्ट और 2014 में कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) में भी वसूली की प्रक्रिया और कर मांग के बकायों को बट्टे खाते में डालने पर अपनी चिंता जताई। मौजूदा अध्ययन आयकर विभाग में बकाया मांगों को बट्टे खाते में डालने की प्रणाली की प्रभावकारिता के मूल्यांकन से संबंधित है।

## 6.2 प्रशासनिक ढांचा

सीबीडीटी द्वारा यथा निर्धारित कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने की मौद्रिक सीमा[60] की तुलना में प्रशासनिक ढांचे को **चार्ट 6.1** में दर्शाया गया हैं।

---

57 अध्याय XVII-डी में धारा 220 से 232 और अधिनियम की दूसरी अनुसूची है।

58 फार्म 57 में नोटिस के माध्यम से अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत टीआरओ द्वारा जारी मांग

59 नवम्बर 2014 में आईटीडी के हाल ही की पुर्नसंरचना के बाद एक टीआरओ किसी सीआईटी के अन्तर्गत प्रत्येक रेंज के बजाय प्रत्येक सीआईटी के लिए प्रदान किया गया है।

60 दिनांक 06.11.2003 के सीबीडीटी के निर्देश सं. 14/2003

**चार्ट 6.1: कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने का प्रशासनिक ढाँचा**

| | |
|---|---|
| वित्त मंत्री | ₹ 50 लाख से अधिक के मामलों का अनुमोदन करता है; |
| सीबीडीटी | ₹ 25 लाख से ₹ 50 लाख के बीच के मामलों का अनुमोदन करता है; |
| सीसीआईटी | तीन सीसीआईटीज वाली क्षेत्रीय समिति ₹ 10,00,001 और ₹ 50 लाख के बीच के मामलों का अनुमोदन करती है; सीसीआईटी (क) सीबीडीटी को सूचना के साथ *₹10 लाख* से *₹25 लाख* तक के, (ख) सीबीडीटी के अनुमोदन से *₹25 लाख* से *₹50 लाख* तक तथा (ग) वित्त मंत्री के अनुमोदन से *₹50 लाख* से अधिक के आदेश पारित करता है। |
| अपर/संयुक्त सीआईटी | तीन सीआईटी वाली क्षेत्रीय समिति ₹ एक लाख से ₹ 10 लाख तक के मामलों का अनुमोदन करती है; सीआईटी सीसीआईटी को सूचित करके *₹* एक लाख से *₹10 लाख* तक की राशि के लिए आदेश पारित करता है। वह *₹10,000* तक स्वयं भी आदेश पारित कर सकता है। |
| अपर/संयुक्त. सीआईटी | तीन अपर सीआईटी वाली स्थानीय समिति ₹ शून्य से ₹ 5,000 (आईटीओ/टीआरओ), ₹ 5,001 से ₹ 25,000 (एसी/डीसी), ₹ 25,001 से ₹ एक लाख (अपर जेसीआईटी) तक के मामलों का अनुमोदन करती है<br><br>अपर/संयुक्त सीआईटी ; *₹25,001* तथा *₹* एक लाख तक के मध्य राशि के आदेश पारित करता है। |
| एओ (आईटीओ/एसी/डीसी) | टीआरओ प्रमाणपत्रों के आहरण हेतु बकाया माँग प्राप्त करता है तथा 'अवसूली योग्य प्रमाणपत्र' जारी करता है।<br><br>एओ *₹5,000 (आईटीओ/टीआरओ)* तथा *₹5,001* से *₹ 25,000 (एसी/डीसी)* तक राशि के लिए आदेश पारित करता है। |

### 6.3 विधिक प्रावधान एवं प्रक्रियाएं

अधिनियम अथवा किसी अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियम में कर बकाया को जो वसूली योग्य नहीं हैं बट्टे खाते में डालने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम 31 के अनुसरण में राजस्व को बट्टे खाते में डालने की संस्वीकृति देने की शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई हैं। सीबीडीटी द्वारा जारी किये गए एमओपी, खण्ड II (तकनीकी) के अध्याय 13 में कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने से संबंधित विधिक प्रावधान शामिल हैं। सीबीडीटी ने कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए शक्तियों तथा मौद्रिक सीमाओं पर समय समय पर निर्देश/दिशा निर्देश जारी किये हैं। संपूर्ण तथा आंशिक बट्टे खाते में डालने में दोनों के लिए प्रक्रिया समान है। कर बकाया किसी भी एक प्रक्रिया नामतः (i) सार बट्टे खाते में डालना (ii) बट्टे खाते में डालने हेतु तदर्थ प्रक्रिया तथा (iii) बट्टे खाते में डालने के लिए नियमित प्रक्रिया द्वारा बट्टे खाते में डाले जा सकते हैं।

### 6.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना था कि

**क.** सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर माँग के बकाया को आवधिक रूप से बट्टे खाते में डाला गया था;

**ख.** कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था; तथा

**ग.** आईटीडी में कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने की निगरानी हेतु एक प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तंत्र है।

### 6.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कवरेज

अध्ययन में वि.व. 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान आईटीडी में बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए पालन की गई प्रक्रिया की जॉच शामिल है। विशिष्ट जोखिम पैरामीटर[61] के आधार पर, आईटीडी के 30 *प्रतिशत* प्रधान सीआईटी/सीआईटी का अध्ययन हेतु चयन किया गया था। चयनित 89 प्रधान सीआईटी/सीआईटी में सभी सर्किल/टीआरओज तथा 25 *प्रतिशत* वार्डों को लेखापरीक्षा में कवर किया गया था।

---

61 संवीक्षा निर्धारणों की संख्या, आन्तरिक/बाह्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों इत्यादि से संबंधित निर्धारिती/उनके टर्नओवर/छूट/कटौती मुद्दों की प्रवृति।

## 6.6 बाधाएँ

13 राज्यों[62] में आईटीडी ने लेखापरीक्षा द्वारा माँगी गई सभी महत्तवपूर्ण सूचना, उत्तर तथा अभिलेख नहीं भेजे। दो राज्यों[63] में नवम्बर 2014 में आईटीडी की पुनर्संरचना तथा विद्यमान तथा नये कार्यालयों के बीच कार्यों के पुनर्वितरण के कारण वर्ष 2014-15 हेतु डाटा के साथ 2012-13 से 2013-14 की अवधि के डाटा में सहसंबंध नहीं था।

## 6.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्ष आईटीडी की क्षेत्रीय सरंचनाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना/डाटा तथा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों पर आधारित हैं। आईटीडी द्वारा कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने से संबंधित लेखापरीखा निष्कर्षों का आने वाले पैराग्राफों में वर्णन किया गया है।

### 6.7.1 कर माँग के बकाया तथा बट्टे खाते में डालना

वि.व. 2012-13 से 2014-15 के दौरान 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों[64] के चयनित पीसीआईटी/सीआईटी के संबंध में कर माँग के कुल बकाया की तुलना में लम्बित बट्टे खाते में डालने/पता लगाने योग्य निर्धारिती न होने/परिसम्पति न होने तथा अपर्याप्त संसाधनों के कारण कर माँग के कुल बकाया जिनकी वसूली होनी कठिन है तथा बट्टे खाते में डाली गई राशि की स्थिति नीचे तालिका 6.1 में दर्शायी गई है:

| तालिका 6.1: कर माँग के कुल बकाया | | | (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| | वि.व. 2012-13 | वि.व. 2013-14 | वि.व. 2014-15 |
| कुल कर माँग के बकाया | 2,77,770.80 | 2,90,011.60 | 3,27,722.08 |
| *लम्बित बट्टे खाते में डालने/पता लगाने योग्य निर्धारिती न होने/परिसम्पति न होने तथा अपर्याप्त संसाधनों के कारण कर माँग के कुल बकाया जिनकी वसूली होनी कठिन है* | *34,962.26* | *34,782.28* | *74,077.78* |
| अवधि के दौरान बट्टे खाते डाले गए | 1.49 | 0.66 | 0.06 |

{स्रोतः चयनित सीसीआईटी/सीआईटी के केन्द्रीय योजना (सीएपी) तथा आईटीडी की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट}

---

62 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलागाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल

63 कर्नाटक एवं गोवा

64 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, यूटी चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। सभी तीनों वर्षों के लिए छत्तीसगढ़, गोवा तथा मध्य प्रदेश के लिए तथा 2012-13 तथा 2013-14 के लिए केरल तथा तमिलनाडु के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे;

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि चयनित प्रधान सीआईटी/सीआईटी के संबंध में कर माँग के कुल बकाया मार्च 2013 की तुलना में मार्च 2015 में 17.98 *प्रतिशत* तक बढ़ गए थे। कर माँग के कुल बकाया के पीडब्ल्यूओ/एएनटी/एनएआर की प्रतिशतता विव 2012-13 में 12.59 *प्रतिशत* से विव 2014-15 में 22.60 *प्रतिशत* तक बढ़ गई थी। तथापि, चयनित 24 राज्यों/लेखापरीक्षा में कवर किये गए संघ राज्य क्षेत्रों में से नौ राज्यों[65] में पीडब्ल्यूओ/एएनटी/एनएआर के कारण कठिनाई से वसूल होने वाली माँग के ₹ 74,077.78 करोड़ में से, केवल ₹ 2.21 करोड़ ही विव 2012-13 से 2014-15 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए थे।

**14,252 मामलों में कुल ₹ 1.19 करोड़ की छोटी राशियों के कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में नहीं डाला गया था तथा 5,485 मामलों में उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन किये बिना ही ₹ 68.96 लाख बट्टे खाते में डाल दिये गए थे।**

### 6.7.2 कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालना

सीबीडीटी के एमओपी खण्ड-II (तकनीकी) के अध्याय 13 के पैरा 2.1 के अनुसार, प्रत्येक मामले में ₹ 1000 से कम छोटी माँगों को निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा किसी अतिरिक्त पूछताछ के बिना ही संक्षेप रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है यदि राशि पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया है तथा राशि किसी चालू मामले[66] से संबंधित नहीं है। छोटी राशियों (प्रत्येक मामले में ₹ 500 से कम) के कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए, जो संक्षिप्त रूप से बट्टे खाते में डालने के अन्तर्गत नहीं आती, तथा किसी मामले में माँग आठ वर्षों से अधिक से बकाया होने पर एक आय कर निरीक्षक को चूककर्ता की सम्पत्तियों तथा वसूली के अवसरों की पूछताछ करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। यदि उसकी रिपोर्ट यह दर्शाती है कि माँग वसूली योग्य नहीं रही है, तो एओ टीआरओ से एक औपचारिक अवसूली योग्य प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा किये बिना सीधे ही माँग को बट्टे खाते में डाल सकता है।

₹ 5,000 तक कर के बकाया को 'तदर्थ' प्रक्रिया के अन्तगर्त बट्टे खाते में डाला जा सकता है बशर्ते कि वे उस वित्तीय वर्ष से जिसके दौरान बट्टे खाते में डाला जाना प्रस्तावित है, तुरन्त पहले पाँच वर्षों से अधिक से निर्धारिती के विस्तृत पते तथा निर्धारण अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण प्रत्येक निर्धारिती के प्रति बकाया हों। 'प्रत्येक मामले' का अर्थ उन सभी निव से होना

65 असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखण्ड तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़

66 विभिन्न निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित आर्थिक सीमाओं तथा शर्तों के साथ पठित एमओपी खण्ड–II के अनुसार, नवीनतम-निर्देश सं. 2/2010 दिनांक 18.03, 2010।

चाहिए जिससे एकल निर्धारिती के संबंध में अवसूली योग्य माँग संबंधित हो सकती है।

**6.7.2.1** हमने पाया कि ₹ 1.19 करोड़ (14,252 मामलों[67]), के कर माँग के बकाया में संक्षिप्त/तदर्थ ढंग से विधि की उपयुक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत बट्टे-खाते में डालने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई थी।

असम, गुजरात, झारखण्ड, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 0.39 करोड़ (5,814 मामले), के कर माँग के बकाया को संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करके बट्टे खाते में नहीं डाला गया था जबकि प्रत्येक मामले में कर माँग के बकाया की राशि ₹ 1,000 से कम थी तथा माँग पाँच वर्षों से अधिक से लम्बित थी। असम में, 213 मामलों तथा कर माँग के बकाया के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। आईटीडी ने बताया (जुलाई 2015) कि मामले 20 से 30 वर्षों से अधिक पुराने थे तथा माँग बिल्कुल भी संग्रहण योग्य नहीं थीं।

झारखण्ड, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में, ₹ 0.16 करोड़ (6,661 मामले) की कर माँग के बकाया को उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करके बट्टे खाते में नहीं डाला गया था जबकि प्रत्येक मामले में कर माँग के बकाया की राशि ₹ 500 से कम थी तथा आठ वर्षों से अधिक से बकाया थी। आयकर विभाग ने झारखण्ड के 24 मामलों (₹ 0.07 लाख) मे स्वीकार किया (जून 2015) कि मामले बहुत पुराने थे तथा पता लगाने योग्य नहीं थे। तथापि, अभिलेखों का पता लगाने तथा उन्हें बट्टे खाते में डालने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात तथा झारखण्ड में, ₹ 0.64 करोड़ (1,777 मामले) के कर माँग के बकाया को तदर्थ प्रक्रिया का पालन करके बट्टे-खाते में नहीं डाला गया था जबकि प्रत्येक मामले में कर माँग के बकाया की राशि ₹ 5,000 से कम थी तथा पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी।

**6.7.2.2** हमने पाया कि 5,485 मामलों[68] में ₹ 68.96 लाख के कर माँग के बकाया को उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन में बट्टे खाते में डाला गया था।

छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में, विव 2013-14 तथा विव 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 57.63 लाख (4,553 मामले) तथा ₹ 4.53 लाख (694 मामले) के बकाया माँग को टीआरओ द्वारा किसी प्राधिकार के बिना ही तदर्थ/संक्षिप्त आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया गया।

---

67 असम (213 मामले), गुजरात (2,789 मामले), झारखण्ड (74 मामले), मध्य प्रदेश (116 मामले), राजस्थान (10,934 मामले) तथा पश्चिम बंगाल (126 मामले)

68 असम (39 मामले) छत्तीसगढ़ (4,553 मामले) तथा ओडिशा (893 मामले)

असम तथा ओडिशा में, वि.व. 2014-15 तथा वि.व. 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 0.24 लाख (39 मामले) तथा ₹ 0.19 लाख (दो मामले) के बकाया माँग को संक्षिप्त/तदर्थ प्रकिया के अन्तर्गत बट्टे खाते में डाले गए थे जबकि प्रत्येक ₹ 1,000/₹ 5,000 से अधिक थी।

ओडिशा में, 197 मामलों में ₹ 6.37 लाख की बकाया माँग, प्रत्येक ₹ 2,000 से अधिक परन्तु ₹ 5,000 से कम वि.व. 2012-13. के दौरान अवसूली योग्य प्रमाणपत्र जारी किये बिना बट्टे खाते में डाली गई थीं।

**उन मामलों में नियमित प्रक्रिया का पालन करके ₹ 290.83 करोड़ के कर माँग के बकाया को अवसूली योग्य घोषित नहीं किया गया था जहाँ निर्धारिती पता लगाने योग्य नहीं थे तथा जहाँ कोई निधि/सम्पति अथवा अपर्याप्त निधि/परिसम्पति नहीं थीं।**

### 6.7.3 नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालना

बट्टे खाते में डालने हेतु नियमित प्रक्रिया के अनुसार बट्टे खाते में डालने के लिए कर माँग के बकाया पर विचार किया जा सकता है जो तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा निम्नलिखित कारणों से 'अवसूली योग्य' हो गए हैं:

**क.** निर्धारिती मृत है, दिवालिया हो गया है, पता लगने योग्य नहीं है, भारत छोड़ चुका है तथा कुर्की योग्य परिसम्पित्तयाँ नहीं हैं;

**ख.** निर्धारिती कम्पनी का परिसमापन हो गया है;

**ग.** निर्धारिती फर्म विघटित हो गई है तथा इसका कारोबार बन्द हो गया है; तथा

**घ.** जिस मामले में चूककर्ता को सिविल कारावास की सहायता लेने समेत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित नियमों के अनुसार वसूली के सभी तरीके समाप्त हो चुके हैं तथा बकाया अभी भी शेष हैं।

बट्टे-खाते में डालने के लिए मामले की सिफारिश करने से पहले, संबंधित प्राधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि मामले में वसूली हेतु पर्याप्त तथा समय पर उपाय किये गए थे।

#### 6.7.3.1 कर माँग के बकाया को 'अवसूली योग्य' घोषित नहीं किया गया जहाँ निर्धारिती पता लगाने योग्य नहीं था।

हमने पाया कि नि.व. 1984-85 से 2009-10 तक से संबंधित ₹ 138.77 करोड़ के कर माँग के बकाया वाले 260 मामलें[69] थे जहाँ 'निर्धारिती पता लगाने योग्य नहीं' होने के कारण माँग 31 मार्च 2015 को बकाया पड़ी थी। बॉक्स 6.1 में चार ऐसे मामलों को दर्शाया गया है।

---

69 असम (तीन), दिल्ली (छह), गुजरात (दो), झारखण्ड (आठ), कर्नाटक (237) तथा पश्चिम बंगाल (चार)

**बॉक्स 6.1: 'अवसूली योग्य' घोषित न किए गए कर माँग के बकाया पर निदर्शी मामले जहाँ निर्धारिती पता लगने योगय नहीं था**

**क.** दिल्ली, सीआई टी-IX प्रभार में, **विशाल ग्लोबल लिमिटेड** के मामले में, नि.व. 1989-90 से 1998-99 के लिए ₹ 40.03 करोड़ की कर माँग का बकाया बाकी था क्योंकि निर्धारिती पता लगने योग्य नहीं था तथा वसूली हेतु कोई परिसम्पत्ति नहीं थी। अपर सीआईटी रेंज-17 ने बकाया माँग को बट्टे खाते में डालने के लिए संबंधित एओ को निर्देश दिया (मार्च/जून 2005) तथा टीआरओ से भी अवसूली योग्य प्रमाणपत्र (आईसी) जारी करने का अनुरोध किया गया था। उच्चतर प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद टीआरओ ने मार्च 2015 तक बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एओ को सक्षम करने हेतु आईसी जारी नहीं किया था।

**ख.** दिल्ली, सीआईटी-VI (नई सीआईटी-IX) प्रभार में, **वैशाली इन्टरनेशनल मैनेजमेंट एण्ड रिसोर्सेज लिमिटेड** के मामले में नि.व. 2008-09 के लिए, ₹ 6.11 करोड़ के कर माँग के बकाया की वसूली लम्बित थी। जून 2013 में, सीआईटी ने एओ को निदेशकों के ठिकाने का पता लगाने तथा पुलिस के साथ आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अभिलेख पर कोई ओर प्रगति नहीं पाई गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने निर्धारिती की वार्षिक रिपोर्ट (2004) से पाया कि आईटीडी ने निदेशकों के सेवा/पेंशन अभिलेखों से उनके ठिकाने का पता लगाने का प्रयास करने के बजाए, एक नियमित ढंग से कार्रवाई की जिसका कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला। अतः आईटीडी में न तो मामले को उचित रूप से जारी रखा एवं नहीं बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया प्रारंभ की। आईटीडी ने उपरोक्त दोनों मामलों के लिए अपने उत्तर (अगस्त 2015) में बताया कि वसूली हेतु नीति को श्रेष्ठ करने तथा ईष्टतम करने अथवा बट्टे खाते में डालने के लिए इसे संसाधित करने के लिए उक्त ₹ एक करोड़ के डोजियर मामलों की समीक्षा की जा रही थी।

**ग.** पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-4 कोलकाता प्रभार में नि.वः 1996-97 के लिए **वी आर बी इन्जीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्टस** के मामले में ₹ 7.44 करोड़ के कर माँग के बकाया 31 मार्च 2015 को बकाया थे। डोजियर रिपोर्ट (दिसम्बर 2003) से यह देखा गया था कि सीसीआईसी VI, कोलकाता ने मामले को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया के लिए एओ को निर्देश दिए थे यदि कम्पनी स्थानीय जाँच पड़ताल द्वारा अथवा कम्पनियों के रजिस्टर से पता लगाने योग्य नहीं है। अभिलेखों से पता चला कि आईटीडी ने न तो निर्धारिती का पता लगाने के लिए कोई ढूंढने की प्रक्रिया पूरी की थी और न ही 31 मार्च 2015 तक अवसूली योग्य के रूप में घोषित माँग को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी।

**घ.** पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-2 कोलकाता प्रभार में, **यशमन डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड** के मामलें में नि.व. 1996-97 के लिए ₹ 2.37 करोड़ के कर माँग का बकाया था। जुलाई 2004 से निर्धारिती का पता नहीं लग रहा था। एओ ने टीआरओ को सूचित किया (जून 2004) कि सीसीआईटी कोलकाता ने देय राशियों के संग्रहण की संभावना का पता लगाने के पश्चात पहले ही आईसी जारी करने के लिए निर्देश जारी कर दिए थे। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर मामले में प्रगति नहीं पाई गई थी।

**6.7.3.2 उन मामलों के संबंध में अवसूली योग्य प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए जहाँ कोई निधि/परिसम्पति अथवा अपर्याप्त निधि/परिसम्पतियाँ नहीं हैं।**

हमने पाया कि ₹ 152.06 करोड़ के बकाया माँग वाले 240 मामलों[70] में, निर्धारितियों के पास बकाया कर माँग को पूरा करने के लिए कोई निधि/ परिसम्पत्ति अथवा अपर्याप्त निधि/परिम्पत्ति नहीं थी। बकाया माँग की सभी वसूली की दूरस्थ संभावना अथवा कोई संभावना नहीं होने के बावजूद बकाया माँग को अवसूली योग्य घोषित नहीं किया गया था तथा उपयुक्त प्रक्रिया के तहत बट्टे-खाते में डालने की कार्रवाई शुरू करने के लिए 'अवसूली योग्य प्रमाणपत्र' जारी नहीं किया गया था। बॉक्स 6.2 ऐसे दो मामलों को दर्शाता है।

**बॉक्स 6.2: 'अवसूली योग्य' घोषित न किए गए कर माँग के बकाया पर निदर्शी मामले जहाँ निर्धारिती पता लगाने योग्य नहीं था**

**क.** पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-1 कोलकाता प्रभार में, **राप्ती निधि लिमिटेड** के मामले में जो नवम्बर 2005 से परिसमापन के अन्तर्गत था, नि.व. 1991-92 के लिए, आधिकारिक परिसमापक ने टीआरओ को सूचित किया था (सितम्बर 2009) ₹ 10.23 करोड़ के कर माँग के बकाया के प्रति कम्पनी के पास केवल ₹ 8,040 उपलब्ध था। यद्यपि बकाया माँग की वसूली की संभावना दूरस्थ थी, तथापि उपयुक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए 'आईसी' जारी नहीं किया गया था।

**ख.** पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-4 कोलकाता प्रभार में, **रेडिएन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड** के मामले में, नि.व. 1998-99 के लिए ₹ 1.04 करोड़ की बकाया माँग बाकी थी। कम्पनी परिसमापन के अन्तर्गत थी। जनवरी 2005 में उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशों के अन्तर्गत कम्पनी बेच दी गई तथा कम्पनी के लेनदारों से 25 अक्तूबर 2005 तक अपने दावे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार, आईटीडी ने अपना दावा दर्ज करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की (सितम्बर 2005) परन्तु इसी बीच दावा फाईल करने की अन्तिम तिथि समाप्त हो गई थी तथा दावा फाइल नहीं कराया जा सका। तथापि आईटीडी ने बकाया मांग की वसूली की किसी संभावित गुजांईश के लिए सितम्बर 2011 से अप्रैल 2014 के दौरान अधिकारिक परिसमापक से सम्पर्क किया। अन्ततः मई 2014 में, अधिकारिक परिसमापक ने सूचित किया कि निर्धारिती की निधियाँ पहले ही वितरित की जा चुकी हैं तथा कम्पनी के पास कोई निधि उपलब्ध नहीं है। बकाया माँग की वसूली की कोई संभावना नही होने के बावजूद 'आईसी' जारी नहीं किया गया था।

70 आंध्र प्रदेश (छह मामले), गुजरात (दो मामले), कर्नाटक (228 मामले), पश्चिम बंगाल (चार मामले)

**आईटीडी ने ₹ 278.64 करोड़ की कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में नहीं डाला था जिसके लिए संबंधित टीआरओज द्वारा 'अवसूली योग्य प्रमाण पत्र' जारी किये गए थे।**

### 6.7.4 'अवसूली योग्य प्रमाण पत्र' जारी किये जाने के पश्चात कर माँग के बकाया बट्टे खाते में नहीं डाले गए थे

सीबीडीटी के एमओपी खण्ड II (तकनीकी) के अध्याय 13 के पैरा 4.3 के अनुसार, जब अधिनियम के अर्न्तगत टीआरओ को दी गई वसूली की शक्तियों का प्रयोग करने के बावजूद एक प्रभावित कर माँग वसूल नहीं होती है, तो टीआरओ कर माँग के अवसूली योग्य बकाया के संबंध में (अवसूली योग्य प्रमाण पत्र (आईसी)' जारी करता है तथा कानून की उचित प्रक्रिया के तहत कर माँग का बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई के लिए इसे वापस क्षेत्राधिकारी एओ को प्रेषित करता है।

₹ 278.64 करोड़ के कर माँग के बकाया वाले 77 मामलों[71] में हमने पाया कि संबंधित टीआरओज द्वारा 'आईसी' जारी किये जाने के बावजूद बट्टे खाते में नहीं डाले गए थे। ऐसे चार मामले बॉक्स 6.3 में दर्शाये गए हैं।

**बॉक्स 6.3: 'अवसूली योग्य प्रमाण पत्र' जारी किये जाने के पश्चात कर माँग के बकाया बट्टे खाते में नहीं डाले गए थे**

क. महराष्ट्र प्रधान सीआईटी-3 मुम्बई प्रभार में, **डायनाक्राफ्ट मशीन कम्पनी लिमिटेड** के मामले में, नि.व. 1981-82 से 1984-85 के लिए, ₹ 65.67 करोड़ की कर माँग के बाकी बकाया के लिए क्षेत्राधिकारी टीआरओ द्वारा सितम्बर 2013 में एक 'आईसी' जारी किया गया था। सीबीडीटी को बट्टे-खाते में डालने का एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था परन्तु इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, मार्च 2015 तक कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में नहीं डाला गया था।

ख. महाराष्ट्र, प्रधान सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार में, **जी.एम.एस. कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड** के मामलों में नि.व. 1995-96 से 1998-99 के लिए ₹ 34.50 करोड़ की कर माँग के बाकी बकाया के लिए क्षेत्राधिकारी टीआरओ द्वारा सितम्बर 2012 में एक 'आईसी' जारी किया गया था परन्तु मार्च 2015 तक और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

ग. पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-3 कोलकाता प्रभार में, **टी किंग प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में नि.व. 1976-77, 1979-80 तथा नि.व. 1983-84 से 1987-88 हेतु ₹ 11.58 करोड़ की कर माँग के बकाया के लिए नवम्बर 1996 में टीआरओ द्वारा एक 'आईसी' जारी किया गया था तथा इसे बट्टे खाते में डालने के लिए क्षेत्रीय समिति को एक प्रस्ताव भेजा गया था। जुलाई 1999 में, क्षेत्रीय समिति के निर्णय के आधार पर, धारा 220(2) के तहत ब्याज शामिल कर के कुल माँग ₹ 22.47 करोड़ पर पुनः संगणित की

71 आंध्र प्रदेश (नौ मामले), असम (एक मामला), दिल्ली (एक मामला), गुजरात (तीन मामले), झारखण्ड (तीन मामले), कर्नाटक (27 मामले), केरल (दो मामले), मध्य प्रदेश (दो मामले), महाराष्ट्र (छह मामले), राजस्थान (तीन मामले), तमिलनाडु (छह मामले), पश्चिम बंगाल (14 मामले)

गई थी (फरवरी 2001)। आईसी जारी करने के तिथि से 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी मार्च 2015 तक इस मामले में और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

घ. पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-4 कोलकाता में, **गणपति कॉमर्स लिमिटेड** के मामले में, नि.व. 1992-93, 1993-94, 1997-98 तथा 1998-99 के लिए, ₹ 19.20 करोड़ की कर माँग के बाकी बकाया के लिए नवम्बर 2006 में क्षेत्राधिकारी टीआरओ द्वारा एक 'आईसी' जारी किया गया था। आईसी जारी करने की तिथि से आठ वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी मार्च 2015 तक और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

**अनेक राज्यों में अप्राप्त योग्य माँगों की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय समिति गठित नहीं की गई थी। यद्यपि, कुछ राज्यों में ऐसी समितियाँ गठित की गई थी फिर भी 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।**

### 6.7.5 क्षेत्रीय समिति द्वारा अप्राप्त योग्य कर माँगो की समीक्षा

समय समय पर सीबीडीटी द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुसार, किसी मामले में कर बकाया ₹ 10 लाख से अधिक हो जाने पर, सीबीडीटी प्रत्यक्ष कर बकाया को बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों की समीक्षा, संवीक्षा तथा विचार हेतु सीज़आईटी की क्षेत्रीय समिति गठित करता है। ये समितियां चारों क्षेत्रों के लिए गठित की गई है। वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र हेतु पाँच, दक्षिण क्षेत्र हेतु चार, पूर्वी क्षेत्र हेतु दो तथा पश्चिमी क्षेत्र हेतु चार समितियाँ गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सबसे वरिष्ठ कमिश्नर क्षेत्रीय समिति की बैठक की कार्रवाई की अध्यक्षता करेगा तथा मामले से संबंधित कमिश्नर बैठक का संचालनकर्त्ता होगा।

सीबीडीटी के 2003 के दिनांक 18 नवम्बर 2003 के निर्देश सं. 16 के अनुसार, तीन सीसीआईटी के स्थाई स्दस्यों के साथ क्षेत्रीय समिति का पुनर्गठन किया गया था। क्षेत्रीय समिति ₹ 10 लाख से अधिक एवं ₹ 25 लाख तक की अवसूली योग्य माँग को बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव की सिफारिश करेगी। एमओपी खण्ड-II (तकनीकी) के अध्याय 13 के पैरा 5.2 के अनुसार, क्षेत्रीय समिति को महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी है तथा अवसूली योग्य कर माँग की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करनी है।

हमने पाया कि छह राज्यों[72] में क्षेत्रीय समिति गठित नहीं की गई थी, तीन राज्यों[73] के बारे में क्षेत्रीय समिति के गठन के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, चार राज्यों[74] में, यद्यपि क्षेत्रीय समिति थी, फिर भी 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान कोई बैठक नहीं की गई थी।

72 बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड

73 आंध्रप्रदेश, केरल, तेलंगाना

74 असम, ओड़ीशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल

गुजरात में 2012-13 और 2013-14 में प्रत्येक वर्ष एक-एक बैठक की गई थीं। इसलिए इन राज्यों में, उगाही न की गई मांग की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी। तमिलनाडु और असम के मामले में, हमने देखा की बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव क्षेत्रीय समिति को भेजे गए थे लेकिन समिति द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था।

**₹ 86.47 करोड़ की कर मांग के बकाया को सीबीडीटी की नियमपुस्तिका में निर्धारित बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया को अपनाए बिना समाप्त कर दिया गया था।**

### 6.7.6 निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत बट्टे खाते में डाले बिना कर बकाया को समाप्त करना

कर मांग के बकाया पर नियंत्रण और उसकी वसूली को सरल बनाने को ध्यान में रखते हुए, आईटीडी ने मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी एंड सीआर), बकाया मांग और संग्रहण रजिस्टर (एडीसीआर), त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर), आदि जैसे विभिन्न नियंत्रण रजिस्टर और रिपोर्ट नियत किये हैं। वर्ष के दौरान की गई मांगों और उसके संग्रहण की डी एंड सीआर के माध्यम से आईटीडी द्वारा निगरानी की जाती है और वित्तीय वर्ष के अंत में शेष बकाया कोई भी राशि कर मांग की निगरानी के लिए एडीसीआर में अग्रेषित की जानी चाहिए। कर वसूली कार्यालय में, कर मांग की प्रमाणित बकाया क्यूपीआर के माध्यम से मॉनीटर की जाती है।

हमने पाया कि कर वसूली प्रमाण पत्रों (टीआरसी) के 4,981 मामलों में, ₹ 86.47 करोड़ की कर मांग का बकाया आईटीडी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों से हटा दिया गया था।

पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-2 और प्रधान सीआईटी-3, कोलकाता प्रभारों में, 4,978 टीआरसी से संबन्धित, ₹ 86.40 करोड़ की प्रमाणित बकाया मांग को सितम्बर 2013 में समाप्त तिमाही के लिए क्यूपीआर से इस आधार पर हटा दिया गया था कि प्रमाणपत्र फोल्डर भौतिक रूप से नहीं पाए गए थे और मामले बहुत पुराने थे। इस प्रकार ₹ 86.40 करोड़ की प्रमाणिक बकाया मांग को उचित प्रक्रिया अर्थात सार/अनौपचारिक/नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत उसे बिना बट्टे खाते में डाले आईटीडी की बुक से कम कर दिया गया था।

राजस्थान, प्रधान सीआईटी-1, जोधपुर प्रभार में, तीन मामलों में वि.व. 2011-12 के लिए एडीसीआर में बकाया दिखाये गए ₹ 7.54 लाख की कर मांग के प्रमाणित बकाया को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए एडीसीआर में अग्रेषित नहीं किया गया था। इसके अलावा, उचित टीआरसी को सक्षम कर प्राधिकारी के किसी भी विशिष्ट आदेशों के बिना वापस ले लिया गया था।

**₹ 1630.02 करोड़ की पुरानी बकाया मांग को वसूल ना किए जाने योग्य घोषित किया गया था और आईसी जारी होने के बाद बट्टे खाते में डालने के लिए टीआरओ द्वारा क्षेत्राधिकारी एओ को वापस संदर्भित नहीं किया था।**

### 6.7.7 पुरानी निष्क्रिय मांगों को बट्टे खाते में डालना

एमओपी, खंड-II (तकनीकी) के अध्याय 13 के अनुसार, जब अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वसूली की शक्ति का प्रयोग करने के बावजूद मांग वसूल न करने योग्य रहे, बकाया को बट्टे खाते में डालने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

हमने देखा कि 12,007 मामलों[75] में, ₹ 1,630.02 करोड़ की कर मांग के पुराने बकाया को वसूल किए जाने योग्य घोषित नहीं किया गया था और मामले आईसी ज़ारी होने के बाद उचित प्रक्रिया के अंतर्गत बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया के लिए टीआरओ द्वारा क्षेत्राधिकारी एओ को वापस संदर्भित भी नहीं किया गया था।

महाराष्ट्र, प्रधान सीआईटी-2, मुंबई प्रभार में, 1981-82 से 2000-01 के बीच के निर्धारण वर्ष से संबन्धित 16 मामलों में, ₹ 928.92 करोड़ की कुल बकाया मांग 10 से 20 वर्षों से अधिक के लिए लंबित थी। न तो एओ ने और न ही टीआरओ ने वसूली के लिए लंबित मामलों की समीक्षा और बट्टे खाते में डालने योग्य मामलों को पहचानने के लिए उनको प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया।

असम, प्रधान सीआईटी-1, गुवाहाटी प्रभार में, 1,752 टीआरसी के मामले में, ₹ 71.99 करोड़ की कर मांग के पुराने बकाया 31 मार्च 2015 तक बकाया पड़े थे लेकिन बट्टे खाते में डालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आईटीडी ने कहा कि (जुलाई 2015) मांग संग्रहणीय नहीं थी चूंकि इनमें से 90 *प्रतिशत* मामले 20 से 30 वर्षों से अधिक पुराने थे और उनके पास उचित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे। आईटीडी ने यह भी कहा कि इन बकाया मांगों में से, 1651 टीआरसी से जुड़े ₹ 59 करोड़ संदिग्ध थे और बिल्कुल भी संग्रहण योग्य नहीं थे।

पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-3, कोलकाता प्रभार में, 671 टीआरसी के मामले में, ₹ 10.60 करोड़ की कर मांग के बकाया को टीआरओ द्वारा 'निष्क्रिय मांग' के रूप में घोषित किया गया था (जैसा कि मार्च 2014 की मासिक प्रगति

---

75 ओडिशा (115 मामले), असम (3,415 मामले), बिहार (365 मामले), छत्तीसगढ़ (1,058 मामले), गुजरात (1,273 मामले), झारखंड (1,516 मामले), कर्नाटक (355 मामले), केरल (नौ मामले), महाराष्ट्र (227 मामले), राजस्थान (221 मामले), तमिलनाडु (1,135 मामले), उत्तर प्रदेश (314 मामले), उत्तराखंड (999 मामले) और पश्चिम बंगाल (965 मामले)

रिपोर्ट में दर्शाया गया है) चूकि टीआरसी की प्रत्यक्ष मौजूदगी नहीं थी और मांगों को केवल रजिस्टर-एक्स में दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, कोई पेन, क्षेत्राधिकारी, निर्धारण फोल्डर नहीं था और मांगें 20 से 40 वर्ष पुरानी थीं, जहां उनके द्वरा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बावजूद, मांग को बट्टे खाते में डालना उचित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रभावित नहीं हुआ था।

आईटीडी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ₹ 362.13 करोड़ की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे और बट्टे खाते में डालने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ओड़िशा के संबंध में, आईटीडी ने यह कहा कि उच्च प्राधिकारियों के निर्देश के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। आईटीडी ने स्वीकार किया कि बिहार में ₹ 12.79 करोड़ की वसूली के लिए सभी टीआरसी में प्रयास किए जाने बाकी थे। झारखंड में, आईटीडी ने आशवस्त किया है कि बट्टे खाते में डालने योग्य ₹ 14.28 करोड़ के मामलों की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा की राय है कि बट्टे खाते में डालने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्रक्रिया नियमपुस्तिका में निर्धारित की गई है, आईटीडी को उचित कदम उठाना अपेक्षित है। इसलिए तथ्य यह रह जाता है कि या तो समय पर वसूली या कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी।

**₹ 51.72 करोड़ की कर मांग के बकाया का टीआरओ और क्षेत्राधिकारी ए.ओ के बीच समन्वय की कमी के कारण प्रभावी निपटान के लिए अनुसरण नहीं किया गया था।**

### 6.7.8 एओ और टीआरओ के बीच समन्वय

एओ और टीआरओ के बीच समन्वय कर मांग के बकाया का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के मामलों को संदर्भित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। एक बार एओ टीआरओ को एक वर्ष[76] से अधिक के लिए बकाया कर मांग को सूचित कर देता है करता है तो मांग में किए गए किसी भी अनुवर्ती संशोधन, कमी आदि के बारे में टीआरओ को सूचित करना एओ के लिए अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार, टीआरओ को समय समय पर किए गए निपटान के बारे में एओ को सूचित करना आवश्यक है।

हमने देखा कि 79 मामलों[77] में, ₹ 51.72 करोड़ के कुल कर मांग के बकाया को टीआरओ और क्षेत्राधिकारी एओ के बीच समन्वय की कमी के कारण

---

76 सी.बी.डी.टी. का पत्र एफ.एन 402/2/2002- आई.टी.सी.सी. दिनांक 18 जनवरी 2002

77 आंध्र प्रदेश (24 मामले), असम (एक मामला), दिल्ली (11 मामले), कर्नाटक (38 मामले) और पश्चिम बंगाल (पांच मामले)

प्रभावी निपटान के लिए नहीं लिया गया। बॉक्स 6.4 ऐसे दो मामलों को दर्शाता है

**बॉक्स 6.4: एओ और टीआरओ के बीच समन्वय की कमी के कारण लंबित कर मांग के बकाया पर निदर्शी मामले**

**क.** दिल्ली, प्रभार सीआईटी (सैंट्रल)-2 प्रभार में, नि.व. 1998-99 और 1999-2000 के लिए **ए.आर.के. स्टील्स (प्राईवेट) लिमिटेड** के मामले में, अक्तूबर 2002 तक धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज सहित, ₹ 12.88 करोड़ की कर मांग का कुल बकाया क्रमशः नि.व. 2001-02 और 2002-03 से वसूली के लिए लंबित था। दिसम्बर 2002 में टीआरओ द्वारा जारी मांग नौटिस निर्धारीति को उसके अभिलेखित पते पर नहीं दिया जा सका। मार्च 2003 में, टीआरओ ने एओ को सूचित किया कि मांग नोटिस डाक प्राधिकारियों द्वारा "इस पते पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं" की टिप्पणी सहित वापस प्राप्त हुआ था। मांग नोटिस उसी पते पर अप्रैल 2003 औए जुलाई 2012 के बीच चार बार टीआरओ द्वारा फिर से जारी किया गया था। सितम्बर 2012 से टीआरओ, वसूली कार्रवाई शीघ्र करने के लिए निर्धारिती का नवीनतम पता, चल और अचल संपत्ति का विवरण प्रदान करने के लिए एओ से निरंतर अनुरोध कर रहा था। तथापि, इस संबंध में जुलाई 2015 तक टीआरओ को एओ द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था और मांग बकाया रही।

**ख.** पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-1, कोलकाता प्रभार में, नि.व. 1994-95 से 1998-99 के लिए **सोमानी स्विस इंडस्ट्रीज़** के मामले में, ₹ 6.27 करोड़ की मांग के लिए टीआरसी सितम्बर 2005 में निकाला गया था। तदनुसार, निर्धारिती को नोटिस ज़ारी किया गया था (सितम्बर 2005)। अभिलेखों से यह स्पष्ट था कि टीआएओ ने संबन्धित एओ को सूचित किया (सितम्बर 2008) कि निर्धारिती कंपनी नहीं मिल रही थी। इससे पूर्व, टीआरओ ने, यदि पता लगाने योग्य हो तो, निदेशक के संबंध में धारा 179 के प्रावधानों के बारे में एओ से अनुरोध भी किया था (जून 2008)। परिणाम का कोई भी तथ्य कि एओ द्वारा ऐसे आदेश प्राप्त हुए थे या मांग की वसूल न किए जाने योग्य के रूप में घोषणा अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। आईटीडी ने कहा (जुलाई 2015) कि धारा 179[78] के अंतर्गत आदेश ज़ारी करना और मांग की वसूली न किए जाने योग्य की घोषणा पर विचार किया जा रहा था।

**₹ 136.67 करोड़ के कर मांग की बकाया के लिए टीआरसी या तो बिलकुल भी तैयार नहीं किए गए थे या विलम्बित थे।**

### 6.7.9 कर वसूली प्रमाण-पत्र का आहरण

दिनांक 18.01.2002 के एफ सं. 402/2/2002-आईटीसी में अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत बोर्ड के आदेश के संदर्भ में, धारा 222[79] के अंतर्गत टीआरसी ज़ारी करना अपेक्षित है। सभी मामलों में जहां मांग एक वर्ष पुरानी है, वसूली के लिए समय पर और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ताकि

78 धारा 179 परिसमापि प्रायवेट कम्पनी के निदेशकों की जिम्मेदारी का प्रावधान करती है

79 धारा 222 से 232 टीआरओ के कार्य से सम्बन्धित है।

चूककर्त्ता द्वारा निपटान, हटाने, चल/अचल संपत्ति को छुपाने के अवसर न्यूनतम हों।

हमने ₹ 136.67 करोड़ के कर मांग के बकाया से जुड़े 95 मामलों[80] में देखा कि जहां टीआरसी या तो बिल्कुल भी तैयार नहीं किए थे या विलंब से तैयार किए गए थे। बॉक्स 6.5 ऐसे दो मामले दर्शाता है

**बॉक्स 6.5 टीआरसी का विलंबित आहरण/आहरण नहीं किया गया**

**क.** उत्तर प्रदेश, सीआईटी-II, कानपुर प्रभार में, **फ़ाईन इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में, दिसंबर 2011 और जनवरी 2012 में पूर्ण संवीक्षा के निर्धारण के बाद ₹ 20.54 करोड़ और ₹ 37.94 करोड़ की मांग तीन वर्षों से अधिक के लिए वसूली हेतु लंबित थी। एओ ने टीआरसी के आहरण और धारा 222 से 232 के प्रावधानों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करके प्रभावी वसूली कार्रवाई के लिए अगस्त 2014 में टीआरओ को सूचित किया। तथापि, (जून 2015) तिथि तक टीआरओ द्वारा कोई भी टीआरसी तैयार नहीं किया।

**ख.** बिहार, सीआईटी सैंट्रल, पटना प्रभार में, **डॉ. अजीत कुमार वर्मा** का मामले में एओ ने टीआरसी जारी करने के लिए फरवरी 2008 में टीआरओ से अनुरोध किया था लेकिन सात वर्ष समाप्त होने के बाद भी वह ज़ारी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष दर्शाते हैं कि या तो कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया नहीं की गई थी या सीबीडीटी नियमपुस्तिका प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बट्टे खाते में डाला गया था। इसके अतिरिक्त, टीआरओ और क्षेत्राधिकारी एओ के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप कर मांग के बकाया के शेष का संचय भी हुआ। इसके अतिरिक्त, या तो क्षेत्रीय समितियां अधिकतर प्रभारों/राज्यों में बनाई नहीं गईं थीं; या यदि बनाई गईं थीं, तो कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव की समीक्षा, संवीक्षा और विचार करने के लिए उनकी कोई बैठक नहीं की गई थी।

आईटीडी ने बट्टे खाते में डालने योग्य उचित मामलों को पहचानने के लिए शीघ्र कार्रवाई नहीं की। सीबीडीटी ने उच्च मूल्य मामले जो काफी समय से लंबित थे और बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित थे, की माँनीटरिंग के लिए तंत्र/प्रणाली भी नहीं बनाई।

80 आन्ध्र प्रदेश (89 मामले), बिहार (एक मामला), तमिलनाडु (चार मामले), और उत्तर प्रदेश (एक मामला)

**एओ औए सीजआईटी ने सीबीडीटी नियमपुस्तिका में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट/विवरण प्रस्तुत नहीं किए थे। 'कर वसूली' और 'बट्टे खाते में डालने' के लिए बनाए गए अपेक्षित रजिस्टर या तो अनुरक्षित नहीं किए गए थे या उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किए गए थे। वसूल न किए जाने योग्य मांग या बट्टे खाते में डाली गई बकाया मांग के संबंध में ऐसी मांगों की मोनीटरिंग के लिए संबन्धित निर्धारिती के एकीकृत चालू वही खाता (आईआरएलए) में कोई भी प्रविष्ठि नहीं की गई थी। विभिन्न रिपोर्टों अर्थात डॉज़ियर रिपोर्ट, सीएपी, क्यूपीआर जो गलत प्रबंधन सूचना प्रणाली का जोखिम उत्पन्न कर सकती है, में विसंगति थी। टीआरओ की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।**

## 6.8 आंतरिक नियंत्रण

### 6.8.1 एओ और सीजआईटी द्वारा रिपोर्ट/विवरणों का प्रस्तुतीकरण

एमओपी खंड-II (तकनीकी) के अध्याय 13 के पैरा 15.1 और 15.2 के अनुसार, एओ को क्षेत्राधिकारी सीआईटी को बट्टे खाते में डाली गई राशि के संबंध में निर्धारित प्रो-फ़ोर्मा में त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्राधिकारी सीजआईटी को निर्धरित प्रो-फ़ोर्मा में निदेशक निरीक्षण (आरएस एंड पीआर) को राजस्व के दावों की छूट या छोड़ने के संबंध में वार्षिक विवरण और आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गए मामलों में रखी गई राशि की वसूली की प्रगति रिपोर्ट दर्शाते हुए निर्धारित प्रो-फ़ोर्मा में अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट सीबीडीटी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

हमने देखा कि 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान, एओ ने 11 राज्यों[81] के मामले में त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। सीबीडीटी और निदेशक, निरीक्षण (आरएस एंड पीआर) को सीएसआईटी द्वारा छह्र राज्यों[82] द्वारा अर्द्ध वार्षिक और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इसलिए यह दर्शाता है कि सीआईटी और सीबीडीटी के स्तर पर बट्टे खाते में डालने, वसूली की प्रगति और दावों की छूट और छोडने पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण नहीं थे।

### 6.8.2 रजिस्टरों का रखरखाव

एमओपी खंड-II, (तकनीकी) के अध्याय 12 के पैरा 7.1 के अनुसार टीआरओ द्वारा 11 महत्त्वपूर्ण रजिस्टर[83] अनुरक्षित किए जाने हैं और एओ को वसूल न किए जाने योग्य मांग (अध्याय 13 के पैरा 15.1) का रजिस्टर अनुरक्षण

---

81 आंध्रप्रदेश, असम, गोआ, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़िशा, राजस्थान, तमिलनाडू, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल

82 असम, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल

83 कैश बुक, सम्बद्ध और बेची गई चल एवं अचल सम्पित्तयों का रजिस्टर, निष्पादन रजिस्टर, प्रमाणिक मांग के दैनिक कटौती उगाही का रजिस्टर, स्टे रजिस्टर, किश्त रजिस्टर, निपटान रजिस्टर, समाप्त प्रमाणपत्र रजिस्टर, अभिरक्षक रजिस्टर, दैनिक डायरी और परिसमापन बीआईएफआर और सिक में कंपनी के मामले में वसूली का रजिस्टर;

करना अपेक्षित है। आईटीडी में टीआरओ ने उनके द्वारा ज़ारी टीआरसी का विवरण दर्शाते हुए एक 'वसूली प्रमाण-पत्र के रजिस्टर' का अनुरक्षण किया।

इसके अतिरिक्त, वसूल न किए जाने योग्य मांग (अध्याय 13 का पैरा 9.1) को बट्टे खाते में डालना पूर्ण रूप से प्रशासनिक कार्य है। यह आईटीडी को अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करके ऐसे बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली से नहीं रोकता। वसूली सिविल मुकद्दमा दायर करके भी प्रभावित की जा सकती है। परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची में अनुच्छेद 112 को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि जिस तिथि में कर देय हुआ था से 30 वर्ष समाप्त होने के बाद सिविल मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता।

हमने निम्नलिखित देखाः

**क.** ओ़डिसा और मध्य प्रदेश में टीआरओ द्वारा अधिकांश निर्धारित 11 रजिस्टर तैयार नहीं किए गए थे। असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में, आईटीडी ने 'वसूली प्रमाण पत्र का रजिस्टर उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किया था।

**ख.** 11 राज्यों[84] में 'वसूली प्रमाण पत्र का रजिस्टर' नहीं बनाया गया था।

**ग.** असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में, आईटीडी ने बट्टे खाते में डाली गई मांग की प्रगति देखने के लिए कोई भी अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए थे।

यह दर्शाता है कि आईटीडी का आंतरिक नियंत्रण प्रभावी नहीं था।

### 6.8.3 कर मांग के बकाया का कम्प्यूटरीकरण और बट्टे खाते में डालना

आईटीडी में कम्प्यूटरीकरण के साथ, एकीकृत चालू बही खाता (आईआरएलए) मोड्यूल एओ को कर मांग के बकाया जो वसूली न करने योग्य हो गया हो का विवरण प्रवष्टि करने की अनुमति देता है। तथापि, यदि भविष्य की तिथि में, यदि वसूल न किए जाने योग्य/बट्टे खाते में डाली गई बकाया मांग में से संबन्धित निर्धारिती से कोई उगाही की गई हो, ए.ओ को मांग की उचित मॉनीटरिंग के लिए उस परिणाम की संबन्धित निर्धारिती के आईआरएलए में प्रविष्टि करनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल के साथ-साथ असम में पूर्व कंप्यूटरीकरण और पश्च् कंप्यूटरीकरण की अवधि की वसूल न किए जाने योग्य मांगों और बट्टे खाते में डाली गई मांगों को आईआरएलए मोड्यूल में समाविष्ट किया गया था की कोई भी जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से नहीं पाई गई थी। गुजरात और राजस्थान में, आईआरएलए उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था और जब भी निर्धारिती द्वारा मांग जमा की जाती थी, वह आईआरएलए में स्वतः ही प्रतिबिम्बित नहीं होती थी।

84 असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

### 6.8.4 डोज़ियर रिपोर्ट, केंद्रीय कार्रवाई योजना (सीएपी) रिपोर्ट और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर)

सीबीडीटी ने कर मांग के बकाया की मॉनीटरिंग के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र के रूप में डोज़ियर रिपोर्ट, सीएपी रिपोर्ट, क्यूपीआर आदि तैयार किया। प्रत्येक डोज़ियर रिपोर्ट में दर्शाए गए कर मांग के बकाया को निर्धारण अभिलेखों और अन्य संबन्धित अभिलेखों में दर्शाए गई राशि के अनुरूप होना चाहिए।

हमने देखा कि 11 राज्यों[85] में, आईटीडी द्वारा अनुरक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों के संदर्भ में बकाया में काफी विसंगति थी।

विभिन्न रिपोर्ट/विवरणियों में रिपोर्टिंग में असंगति गलत प्रबंधन सूचना प्रणाली के जोखिम से पूर्ण है। बॉक्स 6.6 ऐसे दो मामले दर्शाता है।

**बॉक्स 6.6: डोज़ियर रिपोर्ट, सीएपी और क्यूपीआर पर विसंगतियों पर निदर्शी मामले**

**क.** पश्चिम बंगल, प्रधान सीआईटी-2, कोलकाता प्रभार में, **बाहुबली ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड** के मामले में, नि.व. 2008-09, निर्धारण अभिलेखों के अनुसार कर मांग का वास्तविक बकाया ₹ 6.80 करोड़ था जबकि मार्च 2015 में समाप्त तिमाही के लिए उचित डोज़ियर रिपोर्ट में निर्धारिती के प्रति कर मांग का बकाया ₹ 10.33 करोड़ दर्शाया गया था।

**ख.** दिल्ली, सीआईटी सेंट्रल-II प्रभार में, 01.04.1990 से 14.02.2001 के ब्लॉक अवधि के लिए **ऊषा जनरल फूड्स लिमिटेड.** के प्रति फरवरी 2003 में ₹ 27.92 करोड़ की मांग की गई थी। इस मांग को धारा 221(1) के अंतर्गत एओ द्वारा अक्तूबर 2011 में ₹ 54.73 करोड़ तक बढ़ा दिया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मांग को बढ़ाने के तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त होने के बाद भी, सीसीआएटी ने मार्च 2015 में समाप्त तिमाही के लिए डोज़ियर में निदेशालय आयकर (वसूली) को ₹ 27.92 करोड़ की वास्तविक मांग ही भेज रहा था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.81 करोड़ की गलत रिपोर्टिंग हुई।

### 6.8.5 टीआरओ की आंतरिक लेखापरीक्षा

आईटीडी में गठित आंतरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करता है कि आईटीडी के सुचारू कार्यचालन के लिए निर्धारित विनियमों और प्रक्रियाओं का गलती और धोखाधड़ी के प्रति पर्याप्त सुरक्षा उपायों सहित अनुपालन किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग प्रत्यक्ष रूप से सीआईटी के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है और आईटीडी की विभिन्न इकाइयों की लेखापरीक्षा के लिए त्रैमासिक कार्यक्रम तैयार करता है।

हमने देखा कि आईटीडी के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने 2012-13 से 2014-15 के दौरान टीआरओ की आंतरिक लेखपरीक्षा नहीं की। प्रत्येक वर्ष आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए जाने वाले टीआरओ की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने के लिए बकाया कर की वसूली की प्रभावी रूप से मॉनीटर करने के लिए पशच निर्धारण संग्रहण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा को मज़बूत करने के संबंध में सीएजी की 2011-12 की रिपोर्ट संख्या 23 के अध्याय 3 में भी सिफ़ारिश की गई थी।

---

85 दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़ीशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

## 6.9 निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान, कर मांग के कुल बकाया सहित पीडब्ल्यूओ/एएनटी/एनएआर के कारण वसूल करने में मुश्किल मांग की प्रतिशतता 12.59 *प्रतिशत* से 22.60 *प्रतिशत* तक काफी बढ़ी। तथापि, पीडब्ल्यूओ/एएनटी/एनएआर के कारण वसूली करने में मुश्किल मांग के ₹ 74,077.78 करोड़ में से, केवल ₹ 2.21 करोड़ 31 मार्च 2015 तक बट्टे खाते में डाला गया। अधिकांश प्रभारों/राज्यों में, क्षेत्रीय समिति या तो उगाही न की गई मांगों की समीक्षा के लिए बनाई ही नहीं गई थी या यदि बनाई गई थी तो, 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान कोई बैठक नहीं की गई थी।

हमने देखा कि बकाया मांग, सीबीडीटी नियमपुस्तिका के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बट्टे खाते में डाली गई थी। आईटीडी ने कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में नहीं डाला जिसके लिए संबन्धित टीआरओ द्वारा आईसी जारी किए गए थे। बकाया मांग को भी नियमित प्रक्रिया का पालन करके वसूल न किए जाने योग्य घोषित नहीं किया गया जहां पर निर्धारिती का पता नहीं लग पा रहा था और कोई भी निधि/परिसंपत्ति या अपर्याप्त निधि/परिसंपत्ति नहीं थी। इसके अतिरिक्त, न तो पुराने कर मांग के बकाया को वसूल न किए जाने योग्य घोषित किया गया था न ही इन्हें ज़ारी करने के बाद बट्टे खाते में डालने के लिए टीआरओ द्वारा आईसी क्षेत्राधिकारी एओ को वापस संदर्भित किया गया था। बकाया मांग को टीआरओ और क्षेत्राधिकारी एओ के बीच समन्वय में कमी के कारण प्रभावी निपटान के लिए नहीं लिया गया था। एओ और सीएसआईटी ने सीबीडीटी नियमपुस्तिका में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट/विवरण प्रस्तुत नहीं किया। 'कर वसूली' और 'बट्टे खाते में डालने' के लिये अपेक्षित रजिस्टर या तो बनाए नहीं किए थे या अनुचित रूप से बनाए गए थे।

कर मांगो के बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिये मौद्रिक सीमा अंतिम बार 2003 में संशोधित की गई थी जिसे आईटीडी में नवीनतम पुनर्गठन और राजस्व संग्रहण में वृद्धि को ध्यान मे रखते हुये फिर से नहीं देखा गया। आईटीडी ने उचित मामले जो बट्टे खाते मे डालने योग्य थे, की पहचान के लिये शीघ्र कार्रवाई नहीं की। सीबीडीटी ने उच्च मूल्य वाले मामले जो काफी समय से लंबित थे और बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित थे की मानीटरिंग के लिये कोई तंत्र/प्रणाली भी विकसित नहीं की थी।

## 6.10 सिफ़ारिशें

हम सिफ़ारिश करते हैं कि :

**क.** आईटीडी को सुनिश्चित करना चाहिये कि उचित प्रकिया के अंतर्गत बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिये उगाही न की गई माँगो का पता लगाने के लिए कर मांग के बकाया की आवधिक

समीक्षा की जाये और बकाया के मामलों के शीघ्र निपटान के लिये एओ और टीआरओ के बीच उचित समन्वय हो।

**ख.** आईटीडी बकाया कर की वसूली की संभावना का निर्णय लेने में अनिश्चित विलंब से बचने और बट्टे खाते में डाले गये मामलों के शीघ्र निपटान के लिए टीआरओ के साथ-साथ अन्य प्राधिकारियों द्वारा देखे जाने हेतु निश्चित समयसीमा निर्धारित करे।

**ग.** आईटीडी सुनिश्चित करे कि अद्यतित रिपोर्टों/विवरणों/रजिस्टरों सहित पीडब्ल्यूओ/एएनटी/एनएआर के रूप में वर्गीकृत बकाया मांग के विवरणों का टीआरओ/एओ द्वारा उचित रूप से रखरखाव किया गया है। आईटीडी प्रत्येक वर्ष टीआरओ की पर्याप्त संख्या की लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिये अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विंग को भी सुदृढ़ करें।

*उपरोक्त सिफ़ारिशों पर, मंत्रालय ने बताया (30 नवंबर 2015) कि कर प्रशासन सुधार कमीशन की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुये, सीबीडीटी ने मौजूदा दिशानिर्देशों को अद्यतित करने और संशोधित करने के लिये पहले से समिति का गठन किया हुआ था जिसने बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया को सरल बनाने और सुधारने का प्रस्ताव रखते हुये जून 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बताया कि समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है और लेखापरीक्षा की सिफ़ारिशों को जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित संशोधित दिशानिर्देशों में समाविष्ट करने पर विचार किया जायेगा।*

**नई दिल्ली** — **(राजीव भूषण सिन्हा)**
**दिनांक: 09 फरवरी 2016** — **महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली** — **(शशि कान्त शर्मा)**
**दिनांक: 09 फरवरी 2016** — **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**